



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

### National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)  
**SITTING NOTICE**

File No NCST/SER-1070/DL/52/2023-SSW

Dated:- 12.06.2024

सेवा में,

Prof. (Dr.) Radhika Bakhshi  
Director,  
Institute of Home Economics,  
University of Delhi,  
F-4, Hauz Khas Enclave, नई दिल्ली- 110016  
Email Id: [principal@ihe.du.ac.in](mailto:principal@ihe.du.ac.in), Tel. No: 46018108

विषय:- अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विभागीय पदोन्नति पद को सीधी भर्ती से भरे जाने के संबंध में - श्री अब्दुल अजीज, प्रयोगशाला परिचर, Institute of Home Economics (University of Delhi), नई दिल्ली का दिनांक 20.03.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ:- (i) NCST letter of even no. dated 06.03.2024

(ii) Institute of Home Economics letter no. IHE/2024-2025/Admin/Complaint/095 dated 8/4/2023

महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **27.06.2024 को 11:00 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से सम्बंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्या के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें। श्री अब्दुल अजीज को सिटिंग में उपस्थित होने के लिए भी सूचित करे।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीया

  
(मिरांडा इंगुदम/Miranda Ingudam)

निदेशक / Director

Tel:- 011-20819841

Email:- [m.ingudam@sansad.nic.in](mailto:m.ingudam@sansad.nic.in)

**Copy to :-**

Shri Abdul Azeed,  
Institute of Home Economics (University of Delhi)  
Hoj Khas Enclave,  
New Delhi-110016

(आपके प्रकरण में Institute of Home Economics letter से प्राप्त पत्र दिनांक 08.04.2023 की प्रति सूचनार्थ संलग्न है। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आप आयोग द्वारा दिनांक **27.06.2024 को 11:00 बजे** सिटिंग में आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में उपस्थित हो। )